न्यायालय, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं० 02, गाजियाबाद।

विविध सिविल अपील सं०-158/2017

कम्प्यूटर रजि० सं०-985/2017

कृष्णा आदि बनाम श्रीचन्द आदि

CNR NO.-UPGZ010164532017

निर्णय

प्रश्नगत प्रकीर्ण प्रार्थना पत्र सिविल अपील सं० 48/2013 आदेश दिनांकित 01.09.2014 द्वारा निरस्त किये जाने से व्यथित होकर प्रस्तुत की गयी है। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र दिनांकित 27.09.2017 द्वारा आदेश दिनांकित 01.09.2017 को रिकॉल किया जाकर सिविल अपील सं० 48/2013 मूल नम्बर पर कायम करते हुये दिनांक 01.09.2017 को पैरोकार बीमार हो जाने के कारण समय से न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सका। प्रार्थी का कथन शपथ पत्र से समर्थित है। जिस पर प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आपत्ति 15 ग प्रस्तुत की गयी है तथा समक्ष न्यायालय आदेश पत्र पर यह उल्लेख किया गया कि रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र हर्जे पर स्वीकार किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है।

सुना व पत्रावली का अवलोकन किया।

सिविल अपील सं० 48/2013 विपक्षी की उपस्थिति में व प्रार्थी की अनुपस्थिति में दिनांकित 01.09.2017 को निरस्त हुआ। जिसके विरुद्ध पक्षकार द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक 27.09.2017 को दाखिल किया गया है जोकि समय के अन्दर है। जहां तक विपक्षी को हुई क्षति का प्रश्न है। इसे गुण-दोष के आधार पर निस्तारण को ध्यान में रखते हुए हर्जे पर स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रश्नगत प्रकीर्ण प्रार्थना पत्र सं० 158/2017 मुवलिक 2000/-रु० (दो हजार रुपये) के हर्जे पर स्वीकार किया जाता है। हर्जा अदायगी के पश्चात प्रश्नगत अपील 48/2013 मूल नम्बर पर कायम हो। तदानुसार पत्रावली वास्ते अग्रिम आदेश दिनांक 22.07.2024 को पेश हो। हर्जा नियत तिथि के पूर्व अदा करें अन्यथा उक्त आदेश स्वतः निष्प्रभावी हो जाएगा।

दिनांकः 05.07.2024

(हीरा लाल-III)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट सं० 02, गाजियाबाद।